3. आसीदेवी पत्नी श्री किशनाराम
4. लछु पुत्री श्री किशनाराम
5. गुड्डी पुत्री श्री किशनाराम
6. जरूपाराम पुत्र श्री किशनाराम
7. उगराराम पुत्र श्री किशनाराम
8. मुलाराम पुत्र श्री किशनाराम
9. रूगाराम पुत्र श्री किशनाराम
10. जितेन्द्र पुत्र श्री किशनाराम
11. दीपाराम पुत्र श्री किशनाराम

जाति जाट निवासी खबानिया
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थीगण की ओर से–अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी।

–::निर्णय::–

दिनांकः–16/3/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 98/2 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा मौजा ग्राम खबानिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 97 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से रास्ते की मांग की गई तथा नजरी नक्शे में चाहा गया रास्ता मार्क ए से बी दर्शाया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी उपस्थित, अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते बाबत् भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जो शामिल मिसल है। मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम खबानिया के खसरा नम्बर 97 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा मगाराम, पांचाराम पि. पेमाराम जाति जाट के खेत में से चाहे गये मार्ग हेतु जांच करने मौके पर हमराह पटवारी हल्का पहुंचा। प्रार्थी रहींगाराम पुत्र अलाराम जाति जाट का खसरा नम्बर 98/2 के कटाणी मार्ग तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 98/1 में से होकर व 97 में से होकर पहुंचा सकता है इस हेतु खसरा नम्बर 98/1 के खातेदार के सहमत होने पर श्री राज. सरकार के हक में समर्पण कर दिया एवं जिसका नामान्तरकरण होने के पश्चात् नवीन खसरा नम्बर 98/7 रकबा 02 बिस्वा हो गया है एवं खसरा नम्बर 97 के खातेदार के सहमत नहीं होने पर खसरा नम्बर 98/7 श्री राज. सरकार के खसरा नं. से कटाणी मार्ग तक पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 97 में से लगभग 1 बिस्वा भूमि की आवश्यकता होगी, खसरा नम्बर 98/2 के खातेदार के कटाण मार्ग तक पहुंचने के लिये निकटतम दूरी खसरा नम्बर 97 में से होकर ही है एवं जिसका रकबा 1 बिस्वा है। साथ ही मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा दर्शाया जाकर स्पष्ट किया है।

बहस पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 97 में से ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है तथा मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है इसलिए मौका रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 97 में से रास्ता घोषित किया जावें। अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता ने विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा हमारी भूमि में से कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 98/2 ग्राम खबानिया में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 97 ग्राम खबानिया में से रास्ता लघुतम एवं निकटतम है तथा इसके अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा

सहायक कलेक्टर फलोदी

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना में भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। इसलिए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खबानिया तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 97 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में से 20 फीट चौड़ा रास्ता मौका रिपोर्ट में वर्णित नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार घोषित किया जाता है जिसका रकबा मौका रिपोर्ट अनुसार 1 बिस्वा है जिसके बावत् वर्तमान डी.एल.सी. की दो गुना दर से प्रतिफल की राशि प्रार्थी से जमा की जाकर तहसीलदार ओसियां राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शा ट्रेश में तरमीम की कार्यवाही करें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर,से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 16/3/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner